न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 21 / 2021(2021 / 83)

1 पन्नालाल पुत्र श्री माधु जाति बैरवा निवासी रामथल तहसील देवली जिला टोंक।

——प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1 काशीराम उर्फ घासीराम पुत्र माधू जाति जाट निवासी बडला तहसील देवली जिला टोंक।
2 रामनारायण पुत्र श्री माधु जाति जाट निवासी बडला तहसील देवली जिला टोंक।
3 अभय कुमार पुत्र महेद्र जाति महाजन निवासी शिवाड तहसील चौथ का वरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील केकडी जिला अजमेर।

—— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:—
प्रार्थी वकील :— श्री मुकेश गढवाल
अप्रार्थीगण वकील— श्री महेन्द्र जोशी, रामप्रसाद कुमावत
सरकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 13.8.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम बोगला तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबन्दी संवत 2072—75 में दर्ज अकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
210—197	1727	0.15	बारानी 1
	1728	0.86	बारानी 1
	2217 / 1728	0.18	आवासीय
	2232 / 1725	0.03	बारानी 1
	कुल किता 4	कुल रकबा 1.22है.	

उक्त वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड मे प्राथी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिसमे प्राथी का ही कब्जा काश्त निरन्तर बैरोक ठोक चला आ रहा है। अन्य किसी व्यक्ति का वर्णित आराजी के प्राथी के हिस्से मे हक अधिकार हिस्सा नही है और ना ही हो सकता है अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायात 4 प्राथी के पडासी है पडौसी खातेदार प्रार्थी की आराजीयात के मेड को अप्रार्थीगण हकाई बुआई करते समय मेड मरोड देते है प्रार्थी द्वारा कई मरतबा निवेदन करने पर जब अन्य खातेदारान द्वारा प्रार्थी की आराजी व सही आराजी का सीमा ज्ञान नही करवाया तब प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते सीमा ज्ञान हेतु श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर आज दिनांक तक कोई सतोषप्रद कार्यवाही नही हुई। प्रार्थी अपने खातेदारी की आराजी के चारो तरफ दीवार बनाना चाहता है। जिससे फसल की रखवाली व जानवारो से बचाव हो सके तथा अन्य खातेदारान व प्रार्थी के मध्य सीमा का विवाद नही हो इसीलिए उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते स्थाई पत्थरगढी हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थी की आराजी का बार बार निवेदन करने के पश्चात भी सतोषप्रद कार्यवाही सीमा ज्ञान नही होने के कारण अन्य खातेदारान की नियतबद्ध है तथा वे नाजायज व अनाधिकृत तरीके से प्रार्थी की आराजी की तरफ बढकर आराजी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

कब्जा करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी की आराजी की स्थाई पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण प्रथम बार दिनांक 27.12.2020 को उत्पन्न हुआ जब तहसीलदार महोदय केकडी को सीमाज्ञान करने हेतु निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी न न्यायालय से आदेश ही लाने की बात कह कर वाद वर्णित आराजी का सीमाज्ञान नही किया तब उत्पन्न हुआ और अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से कोई हाजिर न तामिली व उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नही करने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार द्वारा उनके पत्र कमांक भू.अ./2021/2351 दिनाक 12.4.2021 दाखिल पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया जो निम्नानुसार है:

जवाब सरकार निम्नानुसार है:–

1. प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 3 में उल्लेखित कथन राजस्व रेकार्ड मे अकनानुसार स्वीकार है।
2. प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2,4,5,6,7 में उल्लेखित कथन प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे।
3. प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 08 से 14 में उल्लेखित कथन कानूनी है एव शेष प्रार्थना है अतः उक्त प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होता पत्थरगढी किये जाने म कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम बोगला तहसील केकडी की जमाबन्दी सन् 2072–75 के खाता संख्या नया पुराना 210–197 के खसरा नंबर 1727, 1728, 2217/1728, 2232/1728 रकबा 0.15, 0.86, 0.18, 0.03हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिको की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner